19
सड़क सुरक्षा

कर्त्तव्य

1. दुर्घटना स्थल से बचकर निकलने की जगह, उन्हें घायल लोगों की सहायता करने के लिए प्रेरित करना।
2. गलत जगह पर गाड़ी पार्क करना, शराब पीकर गाड़ी चलाना, मोबाइल पर बातें करना–इन गलत बातों के परिणामों पर अपने घर, पड़ोस तथा अन्य लोगों के साथ बातचीत करना।
3. सड़क पर क्रोध का प्रदर्शन तथा लोगों के साथ दुर्व्यवहार न करना। ऐसी स्थिति में अपने ऊपर तथा परिवार के सदस्यों पर नियंत्रण रखना।
4. सड़क सुरक्षा के नियमों और विनियमों का पालन न करने से क्या दण्ड मिल सकता है, इस पर चर्चा करना।
5. जब तक गाड़ी चलाने का लाइसेंस न मिले, गाड़ी न चलाना।
6. गाड़ी की नम्बर प्लेट का, दिए गए निर्देशानुसार होना।
7. अलग–अलग स्थितियों में कैसे गाड़ी चलानी चाहिए–वर्षा में, कुहरे में, रात में आदि का प्रशिक्षण प्राप्त करना।
8. लोगों को गाड़ी की गति नापने की मशीन, साँस द्वारा शराब की मात्रा की जाँच करने वाली मशीन, रेड स्पीड कैमरा, रिफलेक्टर तथा इन्टर–सेप्टर के विषय में जानकारी देना।
9. नशीले पदार्थों के सेवन से सड़क दुर्घटनाओं के दुष्परिणामों के बारे में बताना।
10. गाड़ी चलाते समय उसमें गाड़ी के रजिस्ट्रेशन, बीमा, प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित कागज़ात होना।
11. दुर्घटना के समय उचित प्राथमिक चिकित्सा देने के विषय में बातचीत करना।

कहानी

राजू फटी आँखों से उस पन्ने को देख रहा था जो एक अन्तर्देशीय लिफाफे पर लिखा गया था। राजू के बड़े भाई निखिल की आँखों से आँसुओं की धार बह रही थी। उसने ही यह पत्र राजू को पढ़ने के लिए दिया।

प्रिय बेटा निखिल,

मैं जतिन गाँधी का अभागा पिता तुम्हें यह पत्र लिख रहा हूँ। तुमने मेरे बेटे के मृत शरीर को सुरक्षित भिजवा दिया, उसके लिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ। जतिन मेरा इकलौता बेटा था। मैं पोस्ट ऑफिस में क्लर्क की नौकरी करता था। मैं और मेरी पत्नी अपना पेट काटकर जतिन की पढ़ाई की फीस भरते थे। वह इन्जीनियर बनकर हमारे जीवन का आधार और बुढ़ापे का सहारा बनना चाहता था। हम उसके लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। वह आया अवश्य, परन्तु कफ़न में लिपटकर। हमारा सहारा बनने की जगह हमें उसकी अर्थी को कंधा देना पड़ा। विधि का यही विधान था। हम लोग उसके निधन पर आँसू बहाने के सिवाय कर ही क्या सकते थे।

बेटा! जतिन तुम्हारी बातें हर पत्र में लिखता था। वह तुम्हें बहुत मानता था। मुझ बूढ़े पर एक अहसान कर सकोगे ? क्या तुम कुछ दिनों के लिए हमारे गाँव आ सकते हो ? मैं और जतिन की माँ तुम्हारे साथ बैठकर अपने बेटे के बारे में बातें करना चाहते हैं। पैसों की तंगी के कारण वह दो वर्षों से घर भी नहीं आया। अब वह कैसा लगता था ? क्या हमारे बारे में तुम से बातें करता था ? तुम्हें हमारा आशीर्वाद।

तुम्हारे उत्तर की प्रतीक्षा में,
वेलू गाँधी

राजू ने पत्र पढ़कर निखिल की ओर प्रश्नसूचक दृष्टि से देखा। निखिल ने उसे भयंकर रात की घटना सुनाई जिसने उसके जीवन को झकझोर के रख दिया। निखिल और उसके तीन मित्र होस्टल में आस–पास के कमरों में रहते थे। जतिन उनमें सबसे छोटा था। उनकी इन्जीनियरिंग की पढ़ाई का आखिरी वर्ष था। कुछ ही महीनों में वे घर वापिस लौट जाते और अच्छी नौकरियाँ पाकर जीवन में आगे बढ़ते। 31 दिसम्बर की शाम थी। इन चारों ने नए वर्ष के स्वागत की पार्टी में जाने का निश्चय किया। निखिल को अपना प्रोजेक्ट पूरा करना था, इसलिए उसने जाने से मना कर दिया। उसकी जगह पास वाले कमरे में रहने

वाले नरेन्द्र ने उनको अपनी गाड़ी में ले जाने का सुझाव दिया। पार्टी में काफी चहल–पहल थी। इन मित्रों में से किसी को भी शराब पीने का शौक नहीं था। परन्तु जैसा कि इस उम्र के युवाओं में आदत होती है, कुछ लोगों ने उन्हें ज़बरदस्ती शराब पिला दी थी। रात के दो बजे उन लोगों ने वापस जाने का निश्चय किया। बाहर चारों तरफ कोहरा छाया हुआ था। नरेन्द्र गाड़ी चला रहा था। हेड लाइट जला कर भी उसे ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पार्टी में जोर से शोर मचाकर नाचने से बाकी लोग अपनी आँखें बंद करके सो गए। नरेन्द्र की आँखों में भी नींद भरी हुई थी। अचानक गाड़ी जाकर फ्लाई ओवर के खम्बे से टकराई। नरेन्द्र के अलावा बाकी तीनों की उसी समय मृत्यु हो गई और नरेन्द्र की कई हड्डियाँ टूट गई। सारा शरीर काँपने लगा। मृतकों को पहचानकर उनके माता–पिता को खबर देना और उन शवों को शवगृह में रखवाना, इन सभी बातों ने निखिल को शारीरिक और मानसिक रूप से हिलाकर रख दिया। कल तक जिन मित्रों के साथ वह अपने जीवन के सुख–दुख बाँटता था, आज बिना आवाज़ किए, प्राणहीन थे। उनके माता–पिता की हृदय विदारक चीखें उसे रातभर जगा कर रखती थीं। और अब यह पत्र! आखिर कैसे खड़ा होगा वह, वेलू गाँधी के सामने ?

अनिवार्य यातायात संकेत

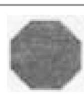				
रूक जाओ	रास्ता दो	सीधे प्रवेश निषिद्ध है।	एक ही रास्ता संकेत	एक ही रास्ता संकेत
दोनों वाहन दिशा में निषिद्ध	सभी मोटर वाहनों पर प्रतिबंध	ट्रक पर प्रतिबंध	बैलगाड़ी पर प्रतिबंध	तांगा पर प्रतिबंध
हाथ गाड़ी पर	साइकिल पर	पैदल चलने	दाहिने मोड़ पर	बाएँ मोड़ पर

प्रतिबंध	प्रतिबंध	वालों पर प्रतिबंध	प्रतिबंध	प्रतिबंध
				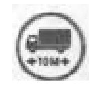
U मोड़ पर प्रतिबंध है।	ओवर टेकिंग पर प्रतिबंध है।	हॉर्न पर प्रतिबंध	बैलगाड़ी और हाथ गाड़ी पर प्रतिबंध है।	लम्बाई सीमा
गति सीमा	लोड सीमा	ऊँचाई सीमा	चौड़ाई सीमा	एक्सल लोड सीमा
				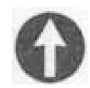
वाहन के बीच दूरी है।	संकेत प्रतिबंध समाप्त होता है।	नो पार्किंग	खड़े या रोके नहीं	आगे ही अनिवार्य है।
बाएँ रखना अनिवार्य है।	दाहिने रखना अनिवार्य है।	बाएँ मोड़ना अनिवार्य है।	दाहिने मोड़ना अनिवार्य है।	आगे की ओर दाहिने मोड़ना अनिवार्य है।
आगे की और बाएँ मोड़ना अनिवार्य है।	आगे की ओर या बाएँ मोड़ना अनिवार्य है।	आगे की ओर या दाएँ मोड़ना अनिवार्य है।	साइकिल ट्रेक पर अनिवार्य है।	ध्वनि अनिवार्य है।

अभ्यासार्थ प्रश्न

वस्तुनिष्ठ प्रश्न –

1. वेलू गाँधी ने किसे पत्र लिखा?
   (क) जतिन को (ख) निखिल को (ग) राजू को (घ) नरेन्द्र को
2. गाड़ी कौन चला रहा था?
   (क) निखिल (ख) जतिन (ग) वेलू गाँधी (घ) नरेन्द्र

अतिलघूत्तरात्मक प्रश्न –

3. जतिन किस चीज की पढ़ाई कर रहा था?
4. सभी साथी किस अवसर पर पार्टी कर रहे थे?
5. शराब पीकर कौन गाड़ी चला रहा था?
6. गाड़ी किससे टकरायी?

लघूत्तरात्मक प्रश्न –

7. राजू किसके पत्र को पढ़ रहा था?
8. जतिन के माता–पिता ने उसका पालन–पोषण कैसे किया था?
9. कहानी में हुई दुर्घटना का क्या कारण था?
10. इस कहानी से मिलने वाली शिक्षा को अपने शब्दों में लिखें।

निबंधात्मक प्रश्न –

11. नशीले पदार्थ अथवा शराब के सेवन करने के दुष्परिणामों पर टिप्पणी कीजिए।
12. ''सड़क सुरक्षा का उत्तरदायित्व नागरिकों पर है या सरकार पर'' इस विषय पर अपने विचार प्रकट कीजिए।
13. निम्नलिखित पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए –
   (क) कल तक जिन मित्रों के............................... रातभर जगा कर रखती थीं।
   (ख) हम उसके लौटने की प्रतीक्षा..............................विधि का यही विधान था।